



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-21102025-267044
CG-BR-E-21102025-267044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4618]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025/आश्विन 25, 1947

No. 4618]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025/ASVINA 25, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्व मध्य रेल)

अधिसूचना

पटना, 7 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4747(अ).— रेल (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खण्ड 37 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाप्रबंधक/पूर्व मध्य रेल के द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के तहत “बख्तियारपुर—राजगीर—तिलैया (104 कि०मी०) के दोहरीकरण” परियोजना को विशेष रेलवे परियोजना घोषित करने की स्वीकृति दी गयी है। इसलिए पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के तहत “बख्तियारपुर—राजगीर—तिलैया (104 कि०मी०) के दोहरीकरण” परियोजना को बिहार राज्य में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में घोषित किया जाता है।

[फा. सं. ECR-HQo/CONS(CORS)/]

रामाश्रय पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/दक्षिण

MINISTRY OF RAILWAYS**(East Central Railway)****NOTIFICATION**

Patna, the 7th October, 2025

S.O. 4747(E).— In Exercise of power conferred under clause 37A of section 2 of the Railway (Amendment) Act 2008, General Manager/East Central Railway has approved to declare “Bakhtiyarpur-Rajgir-Tilaiya Doubling (104 Km)” under Danapur Division of East Central Railway as **Special Railway Project**. Therefore “Bakhtiyarpur-Rajgir-Tilaiya Doubling (104 Km)” under Danapur Division of East Central Railway is declared **Special Railway Project** in the State of Bihar.

[F.No. ECR-HQo/CONS(CORS)/]

RAMASHRAY PANDEY, Chief Admin. Officer/Con./South